मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 19 /आर-9/2012/बजट–1/चार भोपाल, दिनांक 05 /01/2012

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
शासन के समस्त. विभाग,
मंत्रालय भोपाल
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी
मध्य प्रदेश।

विषय – वित्तीय वर्ष 2011–12 में योजना मद अन्तर्गत व्यय।

–00–

विभाग के ज्ञाप क्रमांक 233/1133/2009/बजट–1/चार दिनांक 18/03/2010 में यह स्पष्ट किया गया था कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास अन्तर्गत अव्ययित राशि वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रैमास में उपलब्ध हो सकेगी। अतः अनुरोध है कि यदि विभाग को किसी मद में कार्ययोजना अनुसार चतुर्थ त्रैमास हेतु उपलब्ध राशि के अतिरिक्त पूर्व त्रैमासों में अव्ययित राशि की भी आवश्यकता है तो उक्त राशि विमुक्त करने के लिए पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में दिनांक 15/01/2012 तक वित्त विभाग (आदिवासी क्षेत्र उपयोजन एवं अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना के लिए आदिम जाति एवं अनु. जाति कल्याण विभाग) की सहमति हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि वित्त विभाग प्रस्ताव का परीक्षण किया जाकर यथासमय राशि विमुक्त की जा सके।

2. यदि विभाग को तृतीय त्रैमास तक अव्ययित राशि की वित्तीय वर्ष में आवश्यकता नहीं है तो भी कृपया संलग्न प्रपत्र में जानकारी वित्त विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि उक्त राशि अन्य आवश्यक योजानाओं को अन्तरित किये जाने की कार्यवाही की जा सके। उपरोक्त तिथि तक विभाग से प्रस्ताव प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि विभाग को राशि की आवश्यकता नहीं है तथा वित्त विभाग द्वारा उक्त राशि अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को अन्तरित करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

3. विभाग इसके साथ ही उनकी जिन–जिन मदों में वर्षान्त तक बचत संभावित है उसमें समर्पण की जानकारी भी भेजें। यह उल्लेखनीय है कि गत वर्ष बहुत ही राशि वर्षान्त में अव्ययित रहने से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई थी। उतः विभाग संभावित बचतों के समर्पण के प्रस्ताव दिनांक 15/01/2012 तक भेज दें ताकि इस वर्ष भी राशि अव्ययित रहने की स्थिति न बने।

संलग्न –उपरोक्तानुसार।

(अमित राठौर)
संचालक, बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ क्रमांक 20/आर-9/2012 /बजट–1/चा भोपाल, दिनांक 05/01/2012

प्रतिलिपि :–

1– अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर, समस्त संभागायुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष एव समस्त जिलाध्यक्ष, मध्य प्रदेश

2– निबंधक, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश, इंदौर
सचिव, लोक आयुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल

3– राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव, मध्य प्रदेश भोपाल
सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल

4.– आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश

5– मुख्य लेखा अधिकारी, मध्य प्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।

6– महालेखाकार (लेखा/आडिट) मध्य प्रदेश ग्वालियर/भोपाल

7– वित्तीय सलाहकार, आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भोपाल ।

9– निज सहायक प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग।

10– समस्त अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग।

11– समस्त बजट शाखाएँ, वित्त विभाग।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

(वीरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

आयोजना अन्तर्गत अव्ययित राशि को चतुर्थ त्रैमास में विमुक्त किये जाने के प्रस्ताव हेतु प्रपत्र
(वित्तीय वर्ष 2011–12)

(राशि ₹ में)

बजट शीर्ष	मद का विवरण	कोष एवं लेखा के सर्वर में चारों त्रैमासों के लिए प्रावधानित कुल राशि	तृतीय त्रैमास तक व्यय हो चुकी कुल राशि	चतुर्थ त्रैमास के लिए आवंटित राशि	तृतीय त्रैमास तक लेप्स की गई राशि	तृतीय त्रैमास तक लेप्स की गई राशि में से चतुर्थ त्रैमास हेतु चाही गई अतिरिक्त राशि	विगत 3 वर्षों के चतुर्थ त्रैमास में इस मद में व्यय की गई राशि (वर्षवार)	समर्पित की जाने वाली राशि	पूर्व त्रैमासों में राशि के पूर्ण उपयोग न हो पाने का कारण एवं चतुर्थ त्रैमास में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जाये
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10